झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 29 अग्रहायण, 1943 (शा०) को / 20 दिसम्बर, 2021 (ई०)

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र०सं०–	विभागों को भेजी गई सा० संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
24–	कृष– 03	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	कृषि उपकरण बैंक स्थापित कराना।	कृषि, पशु० एवं सहकारिता ।	13/12/2021
25–	कृष– 07	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	कृषि अनुसंधान केन्द्र बनाना ।	कृषि, पशु० एवं सहकारिता ।	13/12/2021
26–	कृष– 08	श्री सरयू राय	अनियमितताओं की जाँच कराना।	कृषि, पशु० एवं सहकारिता ।	13/12/2021
27–	ग– 05	श्रीमती पुष्पा देवी	पुलिस पिकेट की स्थापना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13/12/2021
28–	वि०– 01	श्रीमती पुष्पा देवी	ग्रामीण बैंक शाखा खोलना।	वित्त विभाग	13/12/2021
29–	कृष– 09	श्री केदार हाजरा	दुग्ध उत्पादन केन्द्र का निर्माण	कृषि, पशु० एवं सहकारिता ।	13/12/2021
30–	कृष– 04	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	निलामी प्रक्रिया कराना।	कृषि, पशु० एवं सहकारिता ।	13/12/2021
* 31–	जन– 01	श्री समीर कुमार मोहंती	इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा।	सू० एव ज०	13/12/2021

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पत्रांक 397 दि० 17.12.2021 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग में स्थानांतरित ।

01.	02.		03.	04.	05.	06
* अन्य संलग्न 32	कृष–	02	श्री सुदिव्य कुमार	धान अधिप्राप्त केन्द्र खोलना	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता ।	13/12/2021
33	कृष–	11	श्री नलिन सोरेन	पशुचिकित्सकों की नियुक्ति	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता ।	13/12/2021
34	ग–	04	श्री मथुरा प्रसाद महतो	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13/12/2021
35	ग–	01	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सरकारी भवन का निर्माण।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13/12/2021
36	कृष–	01	डॉ0 इरफान अन्सारी	डेयरी प्लांट की स्थापना।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता ।	13/12/2021
37	ग–	06	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	मुआवजा देना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13/12/2021
38	कृष–	05	श्री सुदिव्य कुमार	वार्किंग कैपिटल उपलब्ध कराना।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	13/12/2021
39	ग–	03	श्रीमती अर्पणासेन गुप्ता	ट्रॉफिक पुलिस की नियुक्ति।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13/12/2021
40	कृष–	10	श्रीमती अर्पणासेन गुप्ता	कोल्ड स्टोरेज का का निर्माण कराना।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	13/12/2021
41	ग–	02	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	दण्डात्मक कार्रवाई	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	13/12/2021
42	कृष–	06	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	कोल्ड स्टोरेज बनाना	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	13/12/2021
43	का0–	01	सुश्री अम्बा प्रसाद	रिक्त पदों को भरना	का0प्र0शा0सु0एवं राजभाषा।	13/12/2021

राँची,
दिनांक– 20 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0....

* कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 1366 दि0 16-12-2021 द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में स्थानांतरित।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/2021-2497/वि0स0, रांची, दिनांक- 16/12/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह
16.12.2021
(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/2021-2497/वि0स0, रांची, दिनांक- 16/12/2021

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह
उप सचिव, 16.12.2021
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-01/2021-2497/वि0स0, रांची, दिनांक- 16/12/2021

प्रतिः- कार्यवाही शाखा, वेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह
16.12.2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

15/12/21

पाण्डेय/

(24)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-03 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों की समस्या के निदान एवं उन्नत कृषि से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अभी तक कृषि उपकरण बैंक स्थापित नहीं किया जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहें 1000 क्लस्टर/पैक्स में कुल-250.00 करोड़ की लागत पर NCDC के आर्थिक सहयोग से कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर (CHC) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से किसान कृषि एवं संलग्न कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के मशीन/उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0(विधान सभा)-45/2021 सह0 1383 राँची, दिनांक- 18.12.2021

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-2319 वि0स0 दिनांक-13.12.2021 के क्रम में 200 अग्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(25)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-07 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-सिगसिगी में सरकार द्वारा कृषि फार्म स्थापित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त फार्म पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि यह विरान पड़ा हुआ है और ग्रामीणों द्वारा इसे अतिक्रमित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। यद्यपि वहाँ मानवबल की कमी है फिर भी इसके रख-रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। उक्त फार्म को ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की सूचना अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर वर्णित कृषि फार्म को कृषि अनुसंधान केन्द्र बनाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कृषि अनुसंधान केन्द्र बनाने के संदर्भ में वर्त्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-44/2021 2279 /कृ०, राँची, दिनांक- 18/12/2021
प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2322 दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
(चाँद हेम्ब्रम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-44/2021 2279 /कृ०, राँची, दिनांक- 18/12/2021
प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(26)

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-08 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड सरकार ने ज्ञापांक-2559, दिनांक-28.02.2021 द्वारा धनबाद कोल बोर्ड इम्पलाईज कोपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि० की प्रबंध समिति को छः माह के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि झारखण्ड सहकारी समिति अधिनिय-1935 यथा संशोधित-2015 की कंडिका 25 (गजट अधिसूचना के पृष्ठ 26, पैरा-2) के अनुसार ऐसा करने का अधिकार उन्हें नहीं है ;	(i) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-2559 दिनांक-28.10.2021 के द्वारा धनबाद कोल बोर्ड इम्पलाईज कोपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि०, धनबाद को निलंबित किया गया है न कि आदेश ज्ञापांक-2559 दिनांक-28.02.2021 द्वारा। (ii) निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2999 दिनांक-17.12.2021 के द्वारा प्रश्नगत सोसाईटी के निलंबन के संबंध में अवगत कराया गया है कि उक्त समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के विरुद्ध समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों द्वारा परिवाद पत्र दिया गया था कि समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा सहकारी नियमों को ताक पर रखकर वित्तीय अनियमितता एवं गड़बड़ी की जा रही है, बिना प्रबंध समिति के स्वीकृति के ऋण वितरण किया जा रहा है, ऋण की राशि को बियरर चेक के माध्यम से वितरित करने तथा बियरर चेक समिति के कर्मचारी श्री राम नरेश सिंह बैंक लेकर जाते है और उसे भुनाकर 40 हजार से 50 हजार रूपये तक कमीशन निरक्षर गरीब, असहाय एवं मजदूर सदस्यों से ली जाती है। ज्ञातव्य हो कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भी पत्रांक-132 दिनांक-20.03.2021 से सभी साख सहकारी समितियों के सदस्यों के हितार्थ ऋणों का आवंटन शत-प्रतिशत A/c Payee Cheque/RTGS/NEFT के माध्यम से सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नगत समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा बियरर चेक के माध्यम से ऋण दिया जा रहा था, जो कि झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-1935 यथा संशोधित-2015 की

1387
19/12/2021

		धारा-41(1) का (ii) एवं (iii) में दिए गए दायित्व एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं सदस्यों के हित के प्रतिकूल कार्य है। अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-1935 यथा संशोधित-2015 की धारा-41(1) एवं (2) के तहत् वर्णित प्रावधानों के आलोक में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समिति ने इस सोसाईटी द्वारा दो माह में वितरित ऋण एवं निर्गत बेयरर चेक की लिए 2 सदस्यीय जाँच समिति गठित किया है, जबकि इसके पूर्व के प्रबंध समिति के विरुद्ध की गई अनियमितताओं की अनेक शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। श्री गणेश मुईयाँ, अध्यक्ष एवं अन्य के द्वारा निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में दिए गए बयानों एवं लिखित रूप से समर्पित परिवाद पत्र में समिति द्वारा विगत दो माह में वितरित की गई ऋण एवं निर्गत बियरर चेक इत्यादि की जाँच कराने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में जाँच करने का आदेश गठित दो सदस्यीय कमिटि को दी गई। पूर्व के प्रबंध समिति के विरुद्ध की गई अनियमितताओं से संबंधित वाद न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची में दायर है, जिसमें सुनवाई चल रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निबंधक सहयोग समितियों के उक्त अनधिकृत आदेश को निरस्त करने तथा धनबाद कोल बोर्ड इम्पलाईज कोपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि० के पूर्ववर्ती प्रबंध समिति के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जाँच करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-1935 यथा संशोधित-2015 की कंडिका-41(6) में यह प्रावधान है कि धारा-41 उप धारा-(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार/निबंधक द्वारा दिये गये आदेश संबंधित निबंधित सोसाइटी को संसूचना के तीन महीने के भीतर प्रबंध समिति के किसी सदस्य के आवेदन पर राज्य सरकार के यहाँ अपील होगी, अपील पर राज्य सरकार का आदेश और ऐसी अपील के प्रतिफल के अध्यधीन यदि कोई हो, रजिस्ट्रार का आदेश अंतिम होगा। उक्त निलंबन की कार्रवाई के विरुद्ध उक्त सहकारी अधिनियम की धारा-41(6) के तहत कोई भी अपील आवेदन राज्य सरकार को विधिवत् रूप से प्राप्त नहीं है तथापि प्राप्त तारांकित प्रश्न के प्रतिप्रेक्ष्य में निबंधक, सहयोग समिति को उक्त की गयी निलंबन की कार्रवाई के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ संचिका सरकार के समक्ष उपस्थापित करने का निदेश दिया गया है।

1387
19/12/2021

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–04/समिति (विधान सभा) तारांकित प्रश्न–94/2021 1387 /राँची, दिनांक– 19/12/21

प्रतिलिपि–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2325 वि०स० दिनांक–13.12.2021 के क्रम में 200 यंत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अतिउग्रवाद प्रभावित जिला पलामू के नौडिहा बाजार प्रखंड बिहार बार्डर पर अवस्थित है जबकि शहर मुख्यालय से थाना की दूरी 2.5 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नौडिहा बाजार शहर अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बिहार बार्डर पर स्थित होने से आए दिन नक्सली घटना को अंजाम देकर बार्डर का लाभ उठाकर बिहार में प्रवेश कर जाते हैं जिससे शहरवासियों में भय का माहौल व्याप्त रहता है ;	नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है, परन्तु विगत कुछ वर्षों से नक्सली घटना नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र में घटित नहीं हुआ है। नक्सलियों के विरूद्ध नौडिहा बाजार थाना के पुलिस बल के द्वारा गश्ती/अभियान चलाया जाता है। सतत् निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से स्थानीय बाजार में हमेशा गश्ती की जाती है, जिससे कि शहरवासियों में नक्सलियों को लेकर किसी भी प्रकार का भय का माहौल व्याप्त नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नौडिहा बाजार शहर मुख्यालय में पुलिस पिकेट की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। अतएव नया पुलिस पिकेट की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–24/2021– 4900 / राँची, दिनांक– 19/12/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2326, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

28

श्रीमती पुष्पा देवी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– वि0– 01 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के नौडिहा बाजार प्रखण्ड अन्तर्गत सरईडीह बाजार में काफी जनसंख्या में लोग निवास करते है, एवं ज्यादातर व्यवसायी वर्ग के लोग रहते है;	पलामू जिला के नौडीहा बाजार प्रखण्ड अन्तर्गत सरईडीह बाजार में दो से तीन हजार की जनसंख्या है एवं ज्यादातर छोटे स्तर के ग्रामीण व्यवसायी है। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार पलामू जिला Left Wing Extremism (LWE) की श्रेणी में शामिल है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरईडीह बाजार में व्यवसाय क्षेत्र होने के बावजूद आजतक वहाँ किसी भी बैंक का कोई शाखा नही रहने से वहाँ के व्यापारियों के साथ–साथ आम लोगों को भी बैंक संबंधित कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है,	स्वीकारात्मक सरईडीह बाजार से 10 किलोमीटर की दूरी पर नौडिहा बाजार प्रखण्ड अन्तर्गत पंजाब नेशनल शाखा की एक शाखा एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक की भी एक शाखा कार्यरत है। साथ ही, सरईडीह बाजार से 15 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय के आस–पास बैंक ऑफ बड़ौदा– 1, इंडियन बैंक– 1, भारतीय स्टेट बैंक– 2 एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक– 1 शाखा कार्यरत है। जहाँ पर सरईडीह बाजार के ग्रामीण व्यवसायी तथा आमलोगों की बचत खाता ऋण खाता एवं अन्य खाता संधारित है। सरईडीह बाजार में लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु चार (4) Business Correspondents (BCs) संचालित है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा– 1, भारतीय स्टेट बैंक–1 एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक– 2 Business Correspondents (BCs) संचालित है। वर्ष 1984–85 में सरईडीह बाजार में एक ग्रामीण बैंक की शाखा संचालित थी, किन्तु नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने कारण बैंक की सुरक्षा के मद्देनजर आर0बी0आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार 1993–94 के दौरान शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्ड के सरईडीह बाजार में ग्रामीण बैंक शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक, पलामू को उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आगामी District Level Coordination Committee (DLCC)/ District Level Review Committee (DLRC) बैठक में एजेंडा में रखने एवं कृत कार्यवाही को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक: 10 / वि0स0(4)–41 / 2021: 560 / रांची, दिनांक: 14/12/2021 /

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 2332 / वि0स0 दिनांक 13.12.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-12-2021

(कौशल किशोर झा)
सरकार के अवर सचिव।

(29)

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–कृष–09 का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

क्र०स०	प्रश्नकर्त्ता श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० प्रश्न	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के मिर्जागंज गौशाला मैदान में वर्ष 2019 में तत्कालिन सरकार द्वारा दूध उत्पादन केन्द्र का शिलान्यास कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड 1 में उल्लिखित दूध उत्पादन केन्द्र के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित निर्माण कर्ता को 80 (अस्सी) करोड़ रूपया भी आवंटित किया गया है, बावजूद दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक दूध उत्पादन केन्द्र का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;	वित्तीय वर्ष 2017–18 में गिरिडीह में डेयरी प्लांट की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान करते हुए 11.65 करोड़ रू० (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख रूपया) झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को उपलब्ध कराया गया। उक्त राशि अव्ययवहृत रहने के कारण झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा इस राशि को वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मिर्जागंज गौशाला मैदान में दुग्ध केन्द्र के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंधकीय नियंत्रण में संचालित झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए समर्पित पाँच वर्षीय झारखण्ड डेयरी डेवलपमेंट प्लान अन्तर्गत गिरिडीह में डेयरी प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 54/2021 प०पा० 1405 राँची, दिनांक 18/12/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 2324 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.2021
सरकार के अवर सचिव

(30)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मत्स्य कृषकों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय वृद्धि करने हेतु एक तय समय सीमा के लिए जलकरों की नीलामी की जाती है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय परिपत्र संख्या– 114 दिनांक 18.01.1992 के आलोक में राजस्व जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती प्रखण्ड में निबंधित तथा बन्दोबस्ती हेतु योग्य सहयोग समिति के साथ तीन वर्षों के लिए की जाती है। समिति द्वारा अनिच्छा व्यक्त करने अथवा समिति के अवक्रमित होने की स्थिति में जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती आम डाक से की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि पांकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति राधेश्याम सिंह, ग्राम–कोटखास, पोस्ट थाना– नीलाम्बर, पीताम्बर जिला– पलामू के नाम से पंजीकृत है तथा इनके पुत्र मलिक सिंह के द्वारा सभी कार्यों का देख–रेख किया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। लेस्लीगंज प्रखण्ड में पूर्व में निबंधित समिति का नाम लेस्लीगंज मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड है एवं **निबंधन संख्या 2/87** है। इस समिति के अध्यक्ष श्री राणा राधेश्याम सिंह थे। वर्तमान में लेस्लीगंज प्रखण्ड में **नई** समिति गठित है जिसका नाम लेस्लीगंज मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड एवं **निबंधन संख्या 07/डालटनगंज** है। नवगठित लेस्लीगंज मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड में श्री मलिक सिंह के नाम से कोई सदस्य नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि राधेश्याम सिंह एवं उनके पुत्र मलिक सिंह के द्वारा फर्जी लामुक समिति बनाकर पिछले 20 वर्षों से तकरीबन 50 जलकरों का ठेका लेकर अन्य लोगों में बाँट दिया जाता रहा है, तथा अन्य लोगों को निष्पक्ष नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका जाता रहा है ;	अस्वीकारात्मक। पांकी विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य विभाग के कुल 32 (बत्तीस) जलकर आते हैं। प्रखण्डवार संख्या निम्नरूपेण है – **क्र0 | प्रखण्ड का नाम | विभागीय जलकरों की संख्या** 1 | लेस्लीगंज | 12 2 | पांकी | 14 3 | मनातु | 02 4 | तरहसी | 03 5 | सतबरवा | 01 कुल | 32 • लेस्लीगंज मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड मात्र अपने प्रखण्ड में जलकरों (12 जलकर) की बन्दोबस्ती प्राप्त कर सकती है। पुरानी लेस्लीगंज मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड (निबंधन सं0 2/87) के साथ कुल 9 जलकर बन्दोबस्त हैं, इनमें से 8 की बन्दोबस्ती 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगी तथा 01 जलकर की बन्दोबस्ती 31 मार्च 2023 को समाप्त होगी । इस प्रखण्ड के शेष 03 जलकरों में से 01 जलकर की बन्दोबस्ती आम डाक से की गई है एवं 02 जलकर पस्ता की श्रेणी में हैं। • पांकी प्रखण्ड के कुल 14 जलकरों में से 11 जलकरों की बन्दोबस्ती आम डाक से की गई है तथा 03 जलकर पस्ता की श्रेणी में हैं। • मनातु प्रखण्ड के कुल 02 जलकर में से 01 जलकर की बन्दोबस्ती घमेली आजीविका सखी मण्डल (जे0एस0एल0पी0एस0) के साथ की गई है तथा 01 जलकर पस्ता की श्रेणी में है। • तरहसी प्रखण्ड में कुल 03 जलकर हैं, जिनकी बन्दोबस्ती आम डाक से की गई है। • सतबरवा प्रखण्ड में मात्र 01 जलकर है, जिसकी बन्दोबस्ती आम डाक से की गई है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार, वास्तविक मत्स्य कृषकों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उक्त व्यक्ति को प्राप्त जलकरों को निरस्त करते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी, पलामू को पारदर्शी एवं निष्पक्ष नीलामी प्रक्रिया कराने का निर्देश देने का विचार रखती है, हैं तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त तथ्यों के क्रम में बन्दोबस्ती निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1)56/2021 प०या०1407 राँची, दिनांक 18.12.2021

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 2315 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/21

(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के अवर सचिव

(32)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.12.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदिव्य कुमार
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि किसानों के धान क्रय हेतु अभी तक धान अधिप्राप्ति केन्द्र राज्य में नहीं खोले जा सके हैं जिसके कारण किसान अपना धान औने–पौने दाम पर बाजार में बेचने पर विवश है;	अस्वीकारात्मक। खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में किसानों से धान क्रय दिनांक 15.12.2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। पूरे राज्य में 562 अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गये है। अभी तक 16,343 क्विंटल धान क्रय किया जा चुका है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, धान की खरीददारी हेतु धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–22/2021 /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि – अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उनके पत्रांक–1368 (अनु०), दिनांक 16.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–22/2021 3469 /राँची, दिनांक 17/12/21

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 2318/वि०स०, दिनांक 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

33.

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 20.12.2021 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – कृष – 11 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०		श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड– शिकारीपाड़ा/व प्रखण्ड – काठीकुण्ड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिकारीपाड़ा व प्रखण्ड– काठीकुण्ड में पशु चिकित्सक का पद रिक्त है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। डॉ० सुषमा सारा, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, काठीकुण्ड के पद पर पदस्थापित हैं, डॉ० सुमन विश्वास, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, काठीकुण्ड के पद पर पदस्थापित है एवं वे प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा के अतिरिक्त प्रभार में हैं। भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, बेनागड़िया के पद पर पदस्थापित डॉ० विवेकानन्द मंडल भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा के अतिरिक्त प्रभार में है।
3	क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त दोनों प्रखडों में पशु चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण पशुओं के बिमारी का ईलाज नहीं हो पाता है, इस कारण पशु काल के गाल में समा जाते है;	अस्वीकारात्मक काठीकुण्ड एवं शिकारीपाड़ा में पदस्थापित/अतिरिक्त प्रभारी पशु चिकित्सक आवश्यकतानुसार ससमय पशुओं का ईलाज करते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों प्रखण्डों में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति चालू वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, काठीकुण्ड एवं प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, काठीकुण्ड में पशुचिकित्सक पदस्थापित है एवं शिकारीपाड़ा में पशुचिकित्सक अतिरिक्त प्रभार में कार्य कर रहे है। विभाग में पशुचिकित्सकों की कमी के कारण उपलब्ध कार्यबल से सरकारी कार्यों का निष्पादन कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :– 6 वि०/वि०स०(तारांकित)–11/2021 प०पा०397 **दिनांक** 17/12/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2321/वि०स० दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में तथा अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.2021

(राजकुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव

(34)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस में नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं०–02/2011 वर्ष–2011 में निकाली गई थी :	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नियुक्ति में सभी परीक्षाएँ होने के उपरांत जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, उनमें से प्रथम सूची के आधार पर करीब 600 अभ्यर्थियों का नियुक्ति किया गया परन्तु अभी तक 400 पद रिक्त पड़े है :	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त विज्ञापन के तहत अंतिम रूप से चयनित कुल 1020 कोटिवार उम्मीदवारों का प्रथम मेघा सूची प्रकाशित किया गया था जिसमें 864 उम्मीदवार योगदान दिये। कतिपय कारणों से 156 उम्मीदवार योगदान नहीं दिये।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त खाली पड़े पदों पर उसी परीक्षा के आधार पर दूसरी सूची निकाल कर रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–3451/पी०, दिनांक–13.12.2011 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में मेघा सूची की मान्यता मेघा सूची प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष तक मान्य रहेगी, का उल्लेख है, जिसकी अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है। उक्त विज्ञापन के तहत अब नियुक्ति संभव नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–13/2021–4898/ राँची, दिनांक– 19/12/2021।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2329, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(33)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखण्ड में पुलिस (SDPO) तथा ग्राम नावाडीह OP कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों के लिए सरकारी भवन का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है जिससे पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को रहने में कठिनाई हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बजट में निधि की उपलब्धता होने पर आगामी वित्तीय वर्षों में पुलिस (SDPO) तथा ग्राम नावाडीह OP के लिए चिन्हित भूमि पर भवन का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स० (ता०)–812 / 2021–4726 / राँची, दिनांक– 19 / 12 / 2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2331, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

36

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– कृष–01 का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के मिहिजाम नगर पंचायत और उसके आसपास के क्षेत्र अंतर्गत दूध उत्पादक किसान अधिक संख्या में है तथा दूध का उत्पादन कर वे इसे बंगाल में बेचते हैं;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला के मिहिजाम नगर पंचायत और उसके आसपास के क्षेत्र अंतर्गत दुधारू मवेशी की खटाल अधिक है। दूध उत्पादक किसानों के द्वारा उत्पादित दूध को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (जे०एम०एफ०) के द्वारा स्थापित बल्क मिल्क कुलर (बी०एम०सी०) केन्द्र में आपूर्ति की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि मिहिजाम नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मेगा डेयरी प्लांट नहीं होने के कारण किसानों को दूध और दूध से संबंधित उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला के मिहिजाम नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (जे०एम०एफ०) के द्वारा कांगोई में एक दूध शीतक केंद्र तथा छः दूध संग्रहण केंद्र (हासी पहाड़ी, मिहिजाम, पालबागान, श्रीरामपुर, कुसबेदिया तथा हलूदवनली) की स्थापना की गई है तथा 100 से अधिक किसान प्रतिदिन लगभग 1200 लीटर दूध इन केन्द्रों के माध्यम से मिल्कफेड को बेचते है जिसका दूध मूल्य लगभग 04 लाख रूपए का भुगतान प्रत्येक 10 दिनों पर किसानों को बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दूध उत्पादन किसानों के हित में मिहिजाम क्षेत्र अंतर्गत मेघा डेयरी प्लांट की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में किसानों का दूध झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (जे०एम०एफ०) के द्वारा क्रय किया जाता है तथा देवघर एवं सारठ अवस्थित डेयरी प्लांट में प्रोसेसिंग की जाती है एवं आपूर्तिकर्त्ता किसानों को दूध का लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1)55/2021 प०पा० 1404 राँची, दिनांक 18/12/21

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 2317 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18-12-2021

(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के मैक्लुस्कीगंज थाना का निर्माण विगत 14 वर्ष पूर्व हो चुका है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज थाना निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा भू–स्वामी को अभी तक नहीं मिला है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि भू–स्वामी को मुआवजा नहीं मिलने से उनको काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज थाना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भू–स्वामी को देना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मैक्लुस्कीगंज थाना के निर्माण हेतु भू–स्वामी को अर्जनाधीन भूमि का मूल्यांकित राशि ₹ 1,47,90,878/– के विरूद्ध पूर्व में वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के कार्यालय ज्ञापांक–1688/सा०शा०, दिनांक–26.05.2011 के माध्यम से ₹ 24,16,207/– रूपये मात्र की राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध कराया गया था जिसमें से ₹ 26,750/– रूपये मात्र S.I.A. (Social Impact Assesment) को भुगतान किया गया है। अवशेष राशि ₹ 1,24,01,421/– के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में भूमि अधिग्रहण मद में प्रावधानित राशि के अनुरूप ₹ 1,23,17,912/– रूपये मात्र की राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध कराने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के DDO Code में आवंटित किया जा चुका है। शेष राशि ₹ 83,509/– का भुगतान भूमि अधिग्रहण मद में राशि का बजट प्रावधान होने पर किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–813/2021–1724/ राँची, दिनांक– 19/12/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2327, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(38)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-05 का प्रश्नोत्तरः-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन संरक्षण आर्थिक एवं तकनिकी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा लैम्पस पैक्स का गठन किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा लैम्स एवं पैक्स को वर्किंग कैपिटल नहीं देने के कारण लैम्पस पैक्स वर्णित उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, सही ढंग से कार्य करने वाले लैम्पस एवं पैक्स का वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2021-22 में लैम्पस/पैक्स/ व्यापारमंडल को कार्यशील पूँजी (वर्किंग कैपिटल), आधारभूत संरचना एवं मरम्मति हेतु 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी के द्वारा चयनित राज्य भर के कुल 500 समिति को प्रति समिति 2.00 (दो) लाख रूपये मात्र राशि इस वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0(विधान सभा)-44/2021 सह0 1384 /राँची, दिनांक- 18.12.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-2316 वि0स0 दिनांक-13.12.2021 के क्रम में 200 यथलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021

सरकार के अवर सचिव

(39)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा, एगारकुण्ड एवं केलियासोल तथा चिरकुण्डा नगर परिषद् घनी आबादी का क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जी०टी० रोड (N.H.) पर अवस्थित होने के कारण उपरोक्त प्रखण्डों के चौक–चौराहों निरसा चौक, संजय चौक, मैथन, भुगमा N.H-2 बाईपास, मैथन मोड़, कुमारडुबी मोड़ एवं चिरकुण्डा शहीद चौक में भारी वाहनों का अत्यधिक आवागमन का दबाव बना रहाता है ;	शहीद चौक को छोड़कर उल्लेखित अन्य स्थानों पर भारी वाहनों का आवागमन/ परिचालन होता है।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त चौक–चौराहों पर भारी वाहनों के अत्यधिक परिचालन तथा ट्रैफिक पुलिस नहीं होने से फुटपाथ पैदल चलने वाले नागरिकों को कठिनाई होती है, व आये दिन दुर्घटनायें होते रहती है ;	इन स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं है, परन्तु स्थानीय थाना के द्वारा यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिसमकर्मी प्रतिनियुक्त रहते है। इन जगहों पर जाम की समस्या यदा–कदा होती है, परन्तु इस स्थान पर गंभीर सड़क दुर्घटना घटित नही होती है। उल्लेखनीय है कि कुमारधुबी चौक स्थित रेलवे ब्रीज के पास वाहनों का सर्वाधिक जाम होता है। उक्त स्थान पर ओवरब्रीज का कार्य निर्माणाधीन है। ओवरब्रीज निर्माण के उपरांत जाम की समस्या समाप्त हो जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त चौक–चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति कर नागरिकों को दुर्घटनाओं व वाहनों के जाम से निजात दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये स्थानीय थाना को पूर्व में ही निदेशित किया गया है, जो यातायात व्यवस्था संधारण में कार्यरत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–25/2021–4875/ राँची, दिनांक– 19/12/2021।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2330, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(40)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-10 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड निरसा एवं केलियासोल अन्तर्गत निवास करने वाले ग्रामीण कृषि पर निर्भर है ;	अधिकांशतः कृषि कार्य पर निर्भर है।
2.	क्या यह बात सही है कि निरसा तथा केलियासोल प्रखण्ड के ज्यादातर ग्रामीण खेती करके अपना जीवन-यापन करते है, तथा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं होने के कारण उनकी उपज की वस्तुएँ आलू, प्याज तथा अन्य सब्जियाँ खराब हो जाती है व उनका भण्डारण नहीं हो पाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषि विकास तथा उपज की वस्तुओं का भण्डारण व सुरक्षा के लिए निरसा विधान सभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 5000 एम0टी0 के शीत गृह का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराया जा रहा है। धनबाद जिले के लिए उपायुक्त धनबाद के ज्ञापांक-6267 दिनांक-25.10.2021 के द्वारा गोविन्दपुर अँचल अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति हेतु विभाग स्तर से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0(विधान सभा)-43/2021 सह0 1386 /राँची, दिनांक- 18·12·2021

प्रतिलिपि:-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-2323 वि0स0 दिनांक-13.12.2021 के क्रम में 200 हस्ताक्षरित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

(41)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चरही थाना प्रभारी आनन्द आजाद के द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करी, रैयतों, मजदूरों एवं महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार से संबंधित जिले के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। पु०अ०नि० आनन्द आजाद, थाना प्रभारी, चरही के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संदर्भ में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़ के माध्यम से जाँच किया गया, जाँच के क्रम में इनके विरुद्ध लगाये आरोप की पुष्टि नहीं हुई है जिसके कारण पु०अ०नि० आनन्द आजाद, थाना प्रभारी, चरही के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा जनता के हितों की रक्षा हेतु थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डी०जी०पी०, डी०आई०जी०, हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद थाना प्रभारी आनन्द आजाद के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया जाना पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं सरकार की संलिप्ता को प्रदर्शित करता है ;	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि थाना प्रभारी द्वारा आदिवासी महिला रोशनी तिर्की को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी लिखित सूचना जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारी को देने के बावजूद आज तक पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी है ;	आवेदिका रोशनी तिर्की एवं अन्य के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़, हजारीबाग द्वारा किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है ताप्ति साउथ परियोजना के सुरक्षा प्रहरी जवाहर मुईयां के लिखित आवेदन के आधार पर चरही थाना काण्ड सं0–91/21, दिनांक–22.09.2021 दर्ज किया गया है। काण्ड दर्ज करने के पश्चात ही आवेदिका सह प्राथमिक अभियुक्त रोशनी तिर्की द्वारा हमेशा आरोप लगाकर वरीय पदाधिकारी के पास पत्राचार किया जाता रहा है। उपरोक्त काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चरही थाना प्रभारी आनन्द आजाद के द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों, आदिवासी महिला के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–15/2021/..4897.. राँची, दिनांक–19/12/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2328, दिनांक–13.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(47)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-06 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महागामा विधान सभा क्षेत्र के लोग कृषि कार्य पर ही निर्भर है ;	अधिकांशतः कृषि कार्य पर ही निर्भर है।
2.	क्या यह बात सही है कि कृषि उत्पाद को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु अबतक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया गया है ;	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 5000 एम0टी0 के शीत गृह का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराया जा रहा है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महागामा विधान सभा क्षेत्र के महागामा प्रखण्ड में सोलर पावर कोल्ड स्टोरेज बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्णतः सौर उर्जा से संचालित 5 (पाँच) एम0टी0 क्षमता के Eco-friendly 57 मिनी कोल्ड रूम निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसे आई0सी0डी0पी0 कोचांग, राँची द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आई0सी0डी0पी0 कोचांग, राँची द्वारा सभी जिला से लैम्पस/पैक्स का चयन कर प्रस्ताव की मांग की गई है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0(विधान सभा)-42/2021 सह0 1385 /राँची, दिनांक- 18.12.2021

प्रतिलिपि:-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-2320 वि0स0 दिनांक-13.12.2021 के क्रम में 200 पत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

सरकार के अवर सचिव

(43)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 821 दिनांक 05.02.2021 कंडिका 04 (ख) यथा संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह–(ख) अराजपत्रित, समूह–(ग) एवं समूह (घ) के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापन जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06.2018, संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20.11.2018 द्वारा से आच्छादित है तथा जिनमें नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं की गई है उन सभी नियुक्ति प्रक्रिया को अपूर्ण मानते हुए विज्ञापनों को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सोनी कुमारी एवं संलग्न वादों में दिनांक 21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया गया:– "57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.07.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed." उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त विचार (Observation) विभागीय संकल्प सं0 3854 दिनांक 01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे। तद्नुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या 821 दिनांक 05.02.2021 द्वारा संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06.2018 (संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित करते हुए निम्न निर्णय लिया गया:– इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06.2018 (संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) से आच्छादित है तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।
2.	क्या यह बात सही है, कि नियुक्ति नियमों में विसंगतियों के कारण राज्य भर में कई विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु उलझन आ रही है, ऐसे में पूर्व की प्रतियोगिता परीक्षाओं को निरस्त करने पर राज्य के युवा आंदोलनरत है;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावलियों में विसंगतियों का निराकरण करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन)

		नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/ 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मधारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 का गठन किया गया है। उपर्युक्त नई परीक्षा संचालन नियमावलियों के अनुरूप सभी विभागों में पूर्व से गठित नियुक्ति/सेवाशर्त्त नियमावलियों में संशोधन की कार्रवाई एवं विभिन्न विभागों से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वर्ष पुनः संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं पर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने समेत खाली पड़े पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–37/2021 का0 8598 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2314 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।